क्रम-संख्या–360

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, शनिवार, 30 दिसम्बर, 2017

पौष 9, 1939 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

गृह (पुलिस) अनुभाग–2

संख्या 1430 / छः-पु०–2-2017–1600(128)-2015

लखनऊ, 30 दिसम्बर, 2017

अधिसूचना

सा०प०नि०–55

पुलिस अधिनियम, 1861 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1861) की धारा 2 के साथ पठित धारा 46 की उपधारा (2) के अधीन शक्तियों और इस निमित्त समस्त अन्य समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश पुलिस आरमोरर शाखा अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली, 2016 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तर प्रदेश पुलिस आरमोरर शाखा अधीनस्थ अधिकारी सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2017

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पुलिस आरमोरर शाखा अधीनस्थ अधिकारी सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2017 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम 5 का संशोधन

2– उक्त नियमावली में, नियम 5 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये उपनियम (ख) (ग) और (घ) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिये गये उपनियम रख दिये जायेंगे, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 विद्यमान उपनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
5–(ख) मुख्य आरक्षी आरमोरर–मुख्य आरक्षी आरमोरर की शत प्रतिशत रिक्तियॉ प्रोन्नति द्वारा बोर्ड के माध्यम से ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ऐसे आरक्षी आरमोरर से भरी जायेंगी जोः–	5–(ख) मुख्य आरक्षी आरमोरर–मुख्य आरक्षी आरमोरर की शत प्रतिशत रिक्तियॉ प्रोन्नति द्वारा बोर्ड के माध्यम से ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ऐसे आरक्षी आरमोरर से भरी जायेंगी जोः–
(एक) चयन वर्ष की प्रथम जुलाई को आरक्षी आरमोरर के पद पर पॉच वर्ष की सेवा पूर्ण कर लिये हों;	(एक) चयन वर्ष की प्रथम जुलाई को आरक्षी आरमोरर के रूप में पॉच वर्ष की सेवा पूर्ण कर लिये हों;
(दो) सेना का आरमोरर ग्रेड-3 कोर्स उत्तीर्ण हों;	(दो) सेना का आरमोरर ग्रेड-3 कोर्स अथवा उसके समकक्ष केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल का ग्रेड–3 कोर्स उत्तीर्ण हों;
(तीन) वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण में असफल न पाया गया हो।	(तीन) वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण में असफल न पाये गये हों।
(ग) उपनिरीक्षक आरमोरर– उपनिरीक्षक आरमोरर की शत प्रतिशत रिक्तियॉ प्रोन्नति द्वारा ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ऐसे मुख्य आरक्षी आरमोरर से भरी जायेंगी जोः–	(ग) उपनिरीक्षक आरमोरर– उपनिरीक्षक आरमोरर की शत प्रतिशत रिक्तियॉ प्रोन्नति द्वारा ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ऐसे मुख्य आरक्षी आरमोरर से भरी जायेंगी जोः–
(एक) चयन वर्ष की प्रथम जुलाई को मुख्य आरक्षी आरमोरर के पद पर 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लिये हों;	(एक) चयन वर्ष की प्रथम जुलाई को मुख्य आरक्षी आरमोरर के रूप में 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लिये हों;
(दो) सेना का आरमोरर ग्रेड-2 कोर्स उत्तीर्ण हों;	(दो) सेना का आरमोरर ग्रेड-2 कोर्स अथवा उसके समकक्ष केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल का ग्रेड–2 कोर्स आवश्यक रूप में उत्तीर्ण हों;
(तीन) वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण में असफल न पाया गया हो।	(तीन) वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण में असफल न पाये गये हों।
(घ) निरीक्षक आरमोरर–निरीक्षक आरमोरर के पद पर शत प्रतिशत रिक्तियॉ प्रोन्नति द्वारा ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ऐसे उपनिरीक्षक आरमोरर से भरी जायेंगी जोः–	(घ) निरीक्षक आरमोरर–निरीक्षक आरमोरर की शत प्रतिशत रिक्तियॉ प्रोन्नति द्वारा ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ऐसे उपनिरीक्षक आरमोरर से भरी जायेगी जोः–
(एक) चयन वर्ष की प्रथम जुलाई को उपनिरीक्षक आरमोरर के पद पर तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर लिये हों;	(एक) चयन वर्ष की प्रथम जुलाई को उपनिरीक्षक आरमोरर के रूप में 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लिये हों;
(दो) सेना का आरमोरर ग्रेड-1 कोर्स उत्तीर्ण हों;	(दो) सेना का आरमोरर ग्रेड-1 कोर्स अथवा उसके समकक्ष केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल का ग्रेड–1 कोर्स आवश्यक रूप में उत्तीर्ण हों;
(तीन) वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण में असफल न पाया गया हो।	(तीन) वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण में असफल न पाये गये हों।

3–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम 12 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :– नियम 12 का संशोधन

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान उपनियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
12–सेना के आरमोरर ग्रेड-1 कोर्स, आरमोरर ग्रेड-2 कोर्स, आरमोरर ग्रेड-3 कोर्स, प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध सीटों के अनुसार सम्बन्धित पद के कर्मियों को वरिष्ठता के आधार पर प्रशिक्षण में भेजा जायेगा। उक्त प्रशिक्षण सम्पादित कराना पुलिस मुख्यालय का दायित्व होगा।	12–सेना के आरमोरर ग्रेड-1 कोर्स, आरमोरर ग्रेड-2 कोर्स, और आरमोरर ग्रेड-3 कोर्स, अथवा इसके समकक्ष केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के आरमोरर ग्रेड-1 कोर्स, आरमोरर ग्रेड-2 कोर्स और आरमोरर ग्रेड-3 कोर्स के लिए उपलब्ध सीटों के अनुसार ज्येष्ठता क्रम में सम्बन्धित रैंकों के अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण हेतु भेजा जायेगा। उपर्युक्त प्रशिक्षण सम्पादित कराना पुलिस मुख्यालय का दायित्व होगा।

आज्ञा से,
अरविन्द कुमार,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1430-VI-Pu-2-17-1600(128)-2015, dated December 30, 2017:

No. 1430-VI-Pu-2-17-1600(128)-2015

Dated Lucknow, December 30, 2017

In exercise of the powers under sub section (2) of section 46 *read* with section 2 of the Police Act, 1861 (Act no. 5 of 1861) and all other powers enabling him in this behalf, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Police Armourer Branch Subordinate Officers Service Rules, 2016:

THE UTTAR PRADESH POLICE ARMOURER BRANCH SUBORDINATE OFFICERS SERVICE (FIRST AMENDMENT) RULES, 2017

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Police Armourer Branch Subordinate Officers Service (First Amendment) Rules, 2017. Short title and commencement

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the *Gazette*.

2. In the said Rules, in rule-5 for sub-rules (b), (c) and (d) set out in Column-I below, the sub rules as set out in column-II shall be *substituted*, namely :– Amendment of rule 5

COLUMN-I	COLUMN-II
Existing sub-rule	*Sub-Rules as hereby substituted*
5(b) Head Constable Armourer :-	5(b) Head Constable Armourer :-
Hundred percent vacancies of Head Constable Armourer shall be filled by the Board by promotion on the basis of seniority subject to rejection of unfit from amongst such Constables Amourer who-	Hundred percent vacancies of Head Constable Armourer shall be filled by the Board by promotion on the basis of seniority subject to rejection of unfit from amongst such Constables Amourer who-
(i) have completed five years of service as constable Armourer on the first July of the year of selection;	(i) have completed five years of service as constable Armourer on the first July of the year of selection;

COLUMN-I *Existing sub-rule*	COLUMN-II *Sub-rule as hereby substituted*
(ii) have passed Armourer Grade-3 Course of Army;	(ii) have passed Armourer Grade-3 Course of Army or its equivalent Grade-3 Course of Central Armed Police Forces.
(iii) have not been found unsuccessful in Annual Medical Test.	(iii) have not been found unsuccessful in Annual Medical Test.
(c) Sub-Inspector Armourer:-	(c) Sub-Inspector Armourer:-
Hundred percent vacancies of Sub Inspector Armourer shall be filled by promotion on the basis of seniority subject to rejection of unfit from amongst such Head Constables Armourer who-	Hundred percent vacancies of Sub Inspector Armourer shall be filled by promotion on the basis of seniority subject to rejection of unfit from amongst such Head Constables Armourer who-
(i) Have completed 03 years of service as Head Constable Armourer on the first July of the year of selection;	(i) Have completed 03 years of service as Head Constable Armourer on the first July of the year of selection;
(ii) must have passed Armourer Grade-2 Course of Army;	(ii) must have passed Armourer Grade-2 Course of Army or its equivalent Grade-2 Course of Central Armed Police forces.
(iii) have not been found unsuccessful in Annual Medical Test.	(iii) have not been found unsuccessful in Annual Medical Test.
(d) Inspector Armourer:-	(d) Inspector Armourer:-
Hundred percent vacancies of Inspector Armourer shall be filled by promotion on the basis of seniority subject to rejection of unfit from amongst such Sub-Inspector Armourers who-	Hundred percent vacancies of Inspector Armourer shall be filled by promotion on the basis of seniority subject to rejection of unfit from amongst such Sub-Inspector Armourer who-
(i) Have completed 03 years of as Sub-Inspector Armourer service on the first July of the year of selection;	(i) Have completed 03 years of as Sub-Inspector Armourer service on the first July of the year of selection;
(ii) must have passed Armourer Grade-1 Course of Army;	(ii) must have passed Armourer Grade-1 Course of Army or its equivalent Grade-1 Course of Central Armed Police forces.
(iii) have not been found unsuccessful in Annual Medical Test.	(iii) have not been found unsuccessful in Annual Medical Test.

Amendment of rule 12

3. In the said Rules, for rule 12 set out in Column-I below, the sub rules as set out in column-II shall be *substituted,* namely :–

COLUMN-I *Existing rule*	COLUMN-II *Rule as hereby substituted*
12. In order of the seniority candidates of respective ranks shall be sent for training according to the seats available for Armourer Grade-1 Course, Armourer Grade-2 Course and Armourer Grade-3 Course of the Army. It will be the responsibility of Police Headquarters to organize above training.	12. In order of the seniority candidates of respective ranks shall be sent for training according to the seats available for Armourer Grade-1 Course, Armourer Grade-2 Course and Armourer Grade-3 Course of the Army or its equivalent Armourer Grade-1 Course, Armourer Grade-2 Course and Armourer Grade-3 Course of Central Armed Police forces. It will be the responsibility of Police Headquarters to organize above training.

By order,
ARVIND KUMAR,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0 पी0 761 राजपत्र (हि0)–2018–(2444)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/आफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0 पी0 4 सा0 गृह (पुलिस)–2018–(2445)–500 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/आफसेट)।